प्रकरण संख्या 60/2017 मांगूसिंह बनाम बाबूसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सांगावास–अ में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की शामलाती कब्जे काश्त की आराजी नंबर 144/2, 145, 306, 307 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 बाबूसिंह ने अपने 1/2 हिस्से में से 1/6 हिस्सा वादी संख्या 2 हेमसिह को तथा 1/6 हिस्सा वादी संख्या 3 पूनमसिंह को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया व शेष 1/6 हिस्सा बाबूसिंह के बदस्तूर शेष रहा, किन्तु राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के समय त्रुटिवश बाबूसिंह का 1/6 के बजाय 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया, जो गलत है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 17.03.2016 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 11.10.2017 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को आलोच्य आदेश की कोई जानकारी नहीं थी, [illegible] आदेश जारी करने से पूर्व प्रार्थी को कभी सुना नहीं गया। रेस्पोन्डेन्ट जब मौके पर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:29 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा लेने आये तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में करना अंकित किया है, किन्तु लोक अदालत के सम्मन अपीलान्ट को कभी भी प्राप्त नहीं हुए। लोक अदालत में राजीनामें से ही निर्णय होते हैं, जबकि इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है। पत्रावली दिनांक 12.12.2015 को तलबी हेतु नियत थी। इसी दिनांक को वादीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण को विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने का कथन कर कार्यवाही ड्रोप कर ली। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये एवं बिना प्रतिवादीगण को सुने दिनांक 12.12.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2016 को जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, उसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि उसमें न तो तामिल के बारे में उल्लेख किया गया है, न ही अंतिम पर्चा बाबत् पक्षकारों की कोई सहमति नहीं हो, ऐसा कोई अंकन आया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में बिना पत्रावली का विविधत अवलोकन किये निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.12.2015 अनुसार पत्रावली प्रतिवादी संख्या 3 एवं 5 से 12 की तलबी में दिनांक 12.12.2015 को नियत थी, किन्तु दिनांक 12.12.2015 को पक्षकारों को बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:29 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार की सूचना दिये पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर वादीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 3 एवं 5 से 12 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, क्योंकि वादीगण का दावा विभाजन के साथ–साथ खातेदारी घोषणा का भी था। अधिनस्थ न्यायालय ने जिस जमाबन्दी के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया है, उसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस साक्ष्य के वादी संख्या 1 का 1/3 के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज करने का जो आदेश दिया गया है, वह विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, जिस बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, उस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं अर्थात बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। तद्नुसार उक्त एकपक्षीय बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह भी विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17.03.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में किस पक्षकार का कितना हक हिस्सा है, इस पर पक्षकारान को साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.02.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:29 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर